

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2 / 483-26889 / जो.जयपुर / 2024 / 220

दिनांक:- 4/4/24

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1965 के नियम 31 एवं 31 ए में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित नर्सिंगकर्मी का कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये पर राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि से स्थाई किया जाता है -

क्र.स.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला / स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि
1.	सुशील कुमार शर्मा सिनियर नर्सिंग ऑफिसर	नीमकायाना	03.06.1964	26.07.1990 (नर्सिंग ऑफिसर के पद पर)

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2 / 483-26889 / जो.जयपुर / 2024 / 220
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 4/4/24

1. संबंधित समस्त प्रशासनिक / नियंत्रण अधिकारी ।
2. संस्थापन अधिकारी डी.पी.सी (अराजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय ।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश / निजी पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
6414533



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.04.03 20:09:56 IST
Reason: Approved